न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 17/23 तारीख रजू 20.7.2023

RCMS NO. 2023/102

बउनवानीः– सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

1. शब्बीर पुत्र बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
2. रजाक पुत्र बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
3. जहूरी पत्नि बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
4. जैतून पुत्री बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
5. जमीला पुत्री बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
6. तजरून पुत्री बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर
7. नसीम पुत्री बादुल्ला मुसलमान गददी नि0 मखोली तह0 सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2),राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–1. श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार पैरोकार राजस्व

2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 28.6.2024

पैरोकार राजस्व द्वारा रैफरेन्स प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मखोली तहसील सवाईमाधोपुर की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 मे खाता संख्या 107 पर दर्ज ख0न0 655 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला दर्ज रिकार्ड थी तथा जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 के जिम्मन नम्बर एक में दर्ज ख0न0 655 का आवंटन अप्रार्थीगणों के पूर्वज बादुल्ला पुत्र मदारी जाति गददी निवासी मखौली के नाम हुआ था जिसका गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 19 स्वीकार हुआ था। जमाबन्दी संवत् 2034–37 के खाता संख्या 151 मे बादुल्ला पुत्र मदारी के नाम दर्ज उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामा संख्या 86 दिनांक 15.11.1981 स्वीकार होने पर जमाबन्दी सम्वत् 2038–41 के खाता संख्या 65 में दर्ज खसरा नम्बर 655 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का आवंटी बादुल्ला पुत्र मदारी के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी का अमल हुआ है। उक्त भूमि का हाल ख0न0 558 रकबा 0.45, ख0न0 563 रकबा 0.04 है0, ख0न0 576 रकबा 0.06 है0ख0न0 577 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 बने है। जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 के खाता संख्या 102 मे दर्ज उक्त नवीन ख0न0 पर खातेदार बादुल्ला के फौत होने पर नामा0 सख्या 107 दिनांक 20.6.2009 से अप्रार्थीगणों के नाम विरासत का नामा0 स्वीकार हुआ है। यह है कि प्रार्थी मुस्ताक खां पुत्र हम्मीर खान जाति मुसलमान निवासी मखोली के द्वारा [illegible] हाजा मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 01/2008 उनवानी मुस्ताक खां बनाम शब्बीर मे पारित निर्णय दिनांक 21.5.2012 से अप्रार्थीगणों के [illegible] आवंटन आदेश दिनांक 20.6.1968 को खारिज किया जा चुका है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:32 IST
Reason: Self Attested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नही है इसलिए विवादित भूमि के संबंध में समय-समय पर उक्त नामान्तरकरणों के जरिये हुए परिवर्तन को निरस्त करवाने बाबत निवदेन किया है। यह भी तर्क दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध में 15.8.1947 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये उपरोक्त सभी नामा0 संख्या 19,86,107 को निरस्त फरमाये जाने की राय के साथ रैफरेन्स मा0 राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वैसे तो अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिना किसी ठोस आधार एवं तथ्यो की जॉच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है तथा आवंटित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम दर्ज है तथा सम्वत् 2034 से 2037 मे उक्त ख0न0 की किस्म गै0मु0 नाला न होकर बारानी-2 दर्ज है। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नियम विरूद्व तरीके से यह रैफरेन्स पेश किया गया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थी को सुननें के बाद न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82, 88(2) के अन्तर्गत ग्राम मखौली तहसील सवाईमाधोपुर के ख0न0 655 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का विधिविरूद्व किया गया आवंटन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.5.2012 को निरस्त किया जा चुका है। किन्तु उक्त आवंटन आदेश की पालना में आवंटी के नाम भरा गया गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 19 एवं गैर खातेदारी से खातेदारी बाबत दर्ज फैसल नामा0 संख्या 86 दिनांक 15.11.1981 तथा आवंटी बादुल्ला की विरासत का खोला गया नामा0 संख्या 107 दिनांक 20.6.2009 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त तीनो नामा0 को निरस्त करने की राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल-राजस्थान-अजमेंर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 29.07.2024 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner